HINDU FRONT FOR JUSTICE

Registered under Trusts Act, 1882, Registration No. 976 of 2021
Office: 512/695, Balda Road, Nishatganj, Lucknow
Email: ranjanaramjanmbhoomi@gmail.com; Ph: 9415076192.

कन्हैयालाल यादव
जिलाध्यक्ष,धार
मो.9993530355

मनीष मकवाने
नगर अध्यक्ष, धार
मो.8319496163

आशीष गोयल
प्रदेश उपाध्यक्ष एवं याचिकाकर्ता भोजशाला
मो.9425306941

प्रति,

श्रीमान जिलाधीश महोदय
जिला धार (मध्यप्रदेश)

विषय- माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला धार मध्यप्रदेश हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन कर संरक्षित स्मारक के 100 मीटर क्षेत्र में नमाज पर आपत्ति, अतिक्रमण हटाने एवं नियत मार्ग पर मुस्लिम समुदाय का प्रवेश प्रतिबंधित करने बाबद।

माननीय महोदय,

1. हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा दायर याचिका 10497/2022 अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश इंदौर खंडपीठ के 15 मई 2026 के ऐतिहासिक निर्णय से भोजशाला का धार्मिक स्वरूप माँ सरस्वती मंदिर माना गया है'। जिसे AMASR एक्ट 1958 के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 18.03.1904 से संरक्षित स्मारक माना गया है। माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार मंदिर में हिंदुओं को अबाध पूजा के अधिकार दिए गए हैं और नमाज प्रतिबंधित की गई है। माननीय हाई कोर्ट के इस आदेश का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ना तो स्थगन आदेश दिया है और ना ही निरस्त किया है अतः यह आदेश पूर्णतः प्रभावशाली है।

2. यह कि एएसआई ने अपने दिनांक 16.05.2026 के आदेश क्रमांक F no-T-19038/369/2023-M में भी भोजशाला को माँ सरस्वती मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र के रूप में मान्य एवं स्थापित किया है। उक्त आदेश द्वारा हिंदू समुदाय को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा,अर्चना के अप्रतिबंधित अधिकार प्रदान किए गए मुस्लिम पक्ष को मंदिर में नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा मंदिर में आने जाने हेतु अबाधित मार्ग का भी निर्धारण है। इसी आदेश के पेरा 4(ii)(iii) में स्पष्ट उल्लेख है कि जिला प्रशासन और ASI मिलकर प्रशासनिक व्यवस्था और प्रबंधन तय करेंगे। क्या वर्तमान में खसरा नंबर 612 पर जारी नमाज में जिला प्रशासन ने एएसआई से अभिमत प्राप्त किया है? और क्या संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के नियम का पालन हो रहा है?

3. यह कि मुस्लिम पक्ष द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में दिनांक14.07.26 को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में बिंदु क्रमांक 6 में स्पष्ट निर्देश दिया है कि 'यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दोनों पक्षों के अपने-अपने धार्मिक अनुष्ठान करते समय संबंधित परिसर में आने-जाने में कोई बाधा ना हो' जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि भोजशाला में हिन्दू समुदाय को पूजा,अर्चना और आने-जाने में किसी भी प्रकार की कोई रोक-टोक प्रतिबंध नहीं होगा फिर किस आदेश से गत शुक्रवार दिनांक 14 अगस्त को मार्ग अवरुद्ध कर इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय को नमाज उपरांत तथाकथित दरगाह में उसी रास्ते से जाने की अनुमति कैसे प्रदान की गई? हिंदू समुदाय का आधिकारिक मार्ग अवरुद्ध किया गया।

PTO

4. यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30.07.26 में बिंदु क्रमांक 3 में स्पष्ट निर्देश दिया है कि भोजशाला संरक्षित स्मारक के बाहर अस्थायी व्यवस्था के रूप में मुस्लिम समुदाय को दोपहर 1:00 से 3:00 बजे तक खसरा संख्या 596 पर नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए जिसके प्रवेश और निकास हेतु उचित साधन उपलब्ध हो। इसी आदेश के बिंदु क्रमांक 4 में स्पष्ट निर्देश है कि 'यह आदेश पक्षों को आपसी सहमति से किसी अन्य स्थल का चयन करने से नहीं रोकेगा' किंतु हिंदू समुदाय की आपत्ति और विरोध के बावजूद खसरा नंबर 612 पर अस्थायी नमाज करवाई जा रही है। इसी खसरे पर वर्षों से स्थानीय रहवासियो द्वारा लगातार खेती की जा रही है। आसपास मकान / प्रतिष्ठान बने हैं। उनका दैनिक जीवन जीना दूभर होता जा रहा है। वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बन सकती है। बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की भावनाओं से खिलवाड़ कर जबरन वहाँ नमाज पढ़ाई जा रही है।

   अत: प्रशासन से निवेदन है कि कृपया माननीय सर्वोच्च न्यायालय और मा.उच्च न्यायालय के आदेशों की पूर्ण व्याख्या भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल तथा मध्यप्रदेश शासन के महाधिवक्ता से पुन: लेवे।

हमारा स्पष्ट मत है कि –

'पक्षों से तात्पर्य हिंदू समुदाय भी है और वे भी है जिन्हें प्रतिवादी बनाया गया है'। अत: खसरा नंबर 612 पर नमाज की व्यवस्था तत्काल बंद की जावे।

5. यह कि संरक्षित स्मारक भोजशाला के 100 मीटर क्षेत्र में प्रशासन द्वारा नमाज की अस्थायी अनुमति प्रदान की गई है तो क्या फिर भविष्य में हिंदू समुदाय द्वारा 100 मीटर के संरक्षित क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियों जैसे कथा,हवन, भंडारा,आरती, उत्सव, मेला आदि भी आयोजित किए जा सकेंगे उसमें जिला प्रशासन की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। ना ही कानून व्यवस्था का कोई बिंदु /आदेश बताया जाएगा। हमारी मांग है कि- अविलंब राजस्व अधिकारियों को निर्देश देकर 100 मी. संरक्षित क्षेत्र की मार्किंग की जावे।

6. यह कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहनजी यादव की घोषणा अनुरूप धार में भोजशाला और आसपास माँ सरस्वती लोक का निर्माण किया जाना है। इस हेतु 100 मीटर क्षेत्र का अतिक्रमण तुरंत हटाया जाना चाहिए क्योंकि 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस का स्पष्ट मानना है कि जब तक आतंक, आक्रमण, अतिक्रमण के निशान नहीं मिटाये जाएंगे तब तक मंदिर, सरस्वती लोक, राजा भोज शोध केंद्र की पवित्रता और सुंदरता दोनों ही प्रभावित होगी।

7. यह कि मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति द्वारा अपने वक्तव्य में भोजशाला को बार-बार कमाल मौला मस्जिद बताया जाता है जबकि मा.हाई कोर्ट के मंदिर घोषित करने के आदेश पर ना तो कोई स्थगन है ना ही निरस्त किया गया है। ASI ने भी इसे माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला घोषित किया गया है।उक्त आदेशों में मस्जिद का कोई उल्लेख नहीं है इसलिए 'कमाल मौला मस्जिद के नाम पर धार में कहीं भी नमाज स्वीकार्य नहीं है। मंदिर को बार-बार मस्जिद बताकर बहुसंख्यक हिंदू समाज को अपमानित किया जा रहा है। प्रशासन इस हेतु योग्य कार्रवाई करें। बहुसंख्यक हिंदू समाज संविधान और न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास रखता है। इसीलिए न्यायपालिका से ही भोजशाला का निर्णय हुआ है। हमारा जिला प्रशासन से निवेदन है कि कृपया हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा नहीं ली जावे और उपरोक्त सभी मांगों का शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण किया जावे।

भवदीय

कन्हैयालाल यादव
जिलाध्यक्ष,धार
मो.9993530355

मनीष मकवाने
नगर अध्यक्ष, धार
मो.8319496163

आशीष गोयल
प्रदेश उपाध्यक्ष एवं याचिकाकर्ता भोजशाला
मो.9425306941

प्रतिलिपि

माननीय श्री नरेंद्रजी मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार।
माननीय श्री अमितजी शाह गृहमंत्री भारत सरकार।
माननीय श्री गजेंद्रसिंहजी शेखावत केंद्रीय संस्कृति मंत्री भारत सरकार।
माननीय श्री मोहनजी यादव मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन।
माननीय श्री महानिदेशक महोदय, ए एस आई नई दिल्ली।
माननीय श्री पुलिस अधीक्षक महोदय, धार मध्यप्रदेश